



Neutral Citation No. - 2026:AHC:60344

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 8879 वर्ष 2026

बृजेश यादव

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : हीरालाल

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री हीरालाल और राज्य-प्रत्यर्थियों के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री बी.पी. मौर्य को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से थाना चंदौली, जिला चंदौली में पंजीकृत केस क्राइम संख्या 264 वर्ष 2025, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत विचारण लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक उस एकमात्र मामले में जमानत पर है जो उसके विरुद्ध गैंग चार्ट में दिखाया गया है, इसके अलावा आवेदक

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दो अन्य मामलों में भी जमानत पर है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त अरविंद जायसवाल उर्फ मोनू, अमिल जायसवाल उर्फ भोन् और पुष्पा देवी को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 34720 वर्ष 2025 में पारित आदेश दिनांक 16.10.2026 के माध्यम से पहले ही जमानत दी जा चुकी है। आवेदक, जो 10.02.2026 से जेल में बंद है, यह वचन देता है कि यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी रेखांकित किया गया है कि न्यायालय में मामलों के भारी लंबित होने के कारण विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है।

5. आवेदक उस एकमात्र मामले में जमानत पर है जो उसके विरुद्ध गैंग चार्ट में दिखाया गया है, इसके अलावा आवेदक दो अन्य मामलों में भी जमानत पर है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त अरविंद जायसवाल उर्फ मोनू, अमिल जायसवाल उर्फ भोन् और पुष्पा देवी को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 34720 वर्ष 2025 में पारित आदेश दिनांक 16.10.2026 के माध्यम से पहले ही जमानत दी जा चुकी है। आवेदक 10.02.2026 से जेल में बंद है।

6. तथ्यों की समग्रता, प्रकृति और अभिलेख से प्रतिबिंबित साक्ष्यों पर विचार करने के बाद और अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मुझे यह जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला प्रतीत होता है। अतः, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. उपर्युक्त केस क्राइम में शामिल आवेदक- **बृजेश यादव** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को बताने से विमुख हो या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करे।

(ii) आवेदक अभियोजन गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/धमकाएगा नहीं।

(iii) आवेदक (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप तय करने और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों।

(v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

8. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित हुए बिना पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होगा।

(माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

24 मार्च, 2026

आरकेएम

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।